21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में लैंगिक असमानता का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 ऋतु

सहायक अध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,गोपेश्वर जिला चमोली।

प्रस्तावना

पुरूष एवं स्त्री एक जैविकीय तथ्य है एवं जैण्डर एक सामाजिक तथ्य है। इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जोड दी जाती हैं तो उसे लैंगिक असमानता कहा जाता है।

21वीं शताब्दी को विकास के दृष्टिकोण से एक क्रान्तिकारी सदी बताया जाता है परन्तु जहाँ तक सामाजिक ढाँचे का प्रश्न है। इसमें कोई मूलभूत परिवर्तन नजर नहीं आता है। यदि हम महिलाओं की सामाजिक स्थिति का प्रश्न ले तो आज भी विश्व के अधिकांश देशों में स्त्री–पुरूष में भेदभाव किया जाता है। विश्व का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें सभी लोग–एक दूसरे के समान हो। असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं जैविक आदि सभी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है।

हमारे देश में पितृसत्तात्मक व रूढिवादिता होने के कारण महिलाओं के साथ सभी क्षेत्रो मे असमानता पूर्ण व्यवहार किया जाता है। स्त्रीयों को पुरूषों के मुकाबले कमजोर व असहाय समझा जाता है। समाज का जो वर्ग जितना ज्यादा परम्परावादी व रूढ़िवादी और अशिक्षित है उसमे महिलाओ की स्थिति उतनी ही दयनीय है। महिलाओ को भारतीय समाज में कामवासना की पूर्ति एवं बच्चों का पालन–पोषण करने वाली एक सेविका के रूप में ज्यादा जाना जाता है। उनकी स्वयं की कोई पहचान नहीं होती है उनका समाजीकरण पुरूष प्रधानता को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। महिलाओं को सम्पति, शिक्षा एवं अन्य कार्यों में पूरी तरह से आजादी प्रदान नहीं की गयी है।

भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय, समता एवं प्रतिष्ठा बिना किसी भेदभाव के प्रदान करता है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ मूल, वंश, जाति, लिंग स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। परन्तु वास्तविकता यह है कि स्त्री का वह सम्मान प्राप्त नहीं है जो होना चाहिए। महिलाओं के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक क्षेत्रों में भी असमानता का व्यवहार किया जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. लैंगिक असमानता का महिलाओं पर प्रभाव का विश्लेषण करना।
2. लैंगिक असमानता के लिए उत्तरदायी कारकों को ज्ञात करना।

अध्ययन क्षेत्र व शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक शोध प्रणाली व द्वितीयक आंकडों पर आधारित है जिसमें भारतीय समाज की महिलाएं हैं।

लैंगिक असमानता का महिलाओं पर प्रभाव

सामाजिक क्षेत्र में असमानता–भारतीय समाज जो कि एक पुरष प्रधान समाज के रूप में जाना व पहचाना जाता है वहाँ पुरूषों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं जिससे भारतीय समाज में

महिलाओं की मनोदशा भी पुरूषों के अधीन है। इसके साथ ही उन्हें सम्पति, शिक्षा व अन्य कार्यों में पूरी तरह से आजादी प्रदान नहीं की गयी है। समाजिक क्षेत्रों में निम्न प्रकार की असमानता देखने को मिलती है।

जनांकिकी के आधार पर असमानता

भारत में विभिन्न तरीकों द्वारा महिलाओं का शोषण जैसे हीनता की शिकार, दहेज से मृत्यु, कन्या भ्रूण हत्या, कुपोषण, अशिक्षा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, आदि कारकों से स्त्री–पुरूष असंतुलन हो रहा है।

जनांकिकी दृष्टि से देखें तो वर्ष 1901 में कुल जनसंख्या 23.84 करोड़ थी, जिसमें महिलाओं की जनसंख्या लगभग 46 प्रतिशत थी। वहीं 2011 में यह जनसंख्या 47 प्रतिशत के आसपास थी। स्त्री–पुरूष लिंगानुपात की बात की जाये तो जहां 1911 में यहां अनुपात 100/964 तथा 2011 में 940 ही रह गया है। पुरूषों की तुलना में महिलाओं के कम अनुपात का कारण उनकी अधिक संख्या में मत्यु होना माना गया है। महिलाओं के साथ किए जाने वाले भेदभाव के कारण ऐसा प्रतीत होता है (गोपालन सरला, 2001, 38: 142)

जन्म के समय असमानता

लैंगिक असमानता के कारण प्रत्येक पितृसत्तात्मक परिवार का यह लक्षण है कि वहां पुरूष की प्रधानता होती है और नारी का अवमूल्यन होता है। भारतीय समाज में इसका रूप अत्यन्त कठोर है नारी का जन्म ही अपने आप में अभिशाप है। पुत्र मुक्तिदाता, बुढापे का सहारा और घर की पूंजी है जबकी पुत्री का जन्म एक दायित्व और कर्ज है इसलिए जन्म से ही लिंग भेदभाव शुरू हो जाता है। इसके लालन–पालन के तौर तरीके बिल्कुल अलग–अलग हैं। (पाण्डेय तेजस्कर 2009 : 273)

खापान सम्बन्धी असमानता

बालिकाओं को स्तनपान कराने तथा भोजन खिलाने में लड़कों की तुलना में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। 1980 के दशक के अध्ययन से पता चला है कि जीवन के शुरू के दो सालों में खाना देने में तथा चिकित्सा देखभाल में सबसे ज्यादा भेदभाव किया जाता है। परिवार में पुरूषों के खाने के बाद महिलाओं का खाना एक भेदभाव का मामला है। (गोपालन, सरला, 2001:84–85)

शिक्षा में असमानता

शिक्षा के द्वारा मनुष्य का मानसिक विकास होता है। शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। शिक्षित व्यक्ति आत्म निर्भर एवं आत्मविश्वासी होने के साथ जीवन के हर पहलू को समझने एवं सोचने की क्षमता रखता है। (शर्मा, रमा एवं मिश्रा, एम0के 2016: 148) भारतीय नारी आज भी अधिक संख्या में अशिक्षित है उसे पढने–लिखने की स्वतंत्रता नहीं है। वह रूढिवादी मानसिकता वाले परिवारों से जुड़ी है। चाहकर भी पढ़ नहीं पाती है। (तिवारी, आर0पी0 एवं शुक्ला, डी0पी0 205 :138)

परम्परागत समाज में बालिकाओं के प्रवेश अध्ययन तथा विकास पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। स्त्री शिक्षा से सम्बन्धीत प्रथम समस्या यह है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर साक्षरता दर में स्त्री–पुरूषों के मध्य काफी अन्तर दिखाई देता है। गरीब मां–बाप लड़कियों को आगे पढ़ा नहीं पाते। दूसरी समस्या है कि परम्परागत रूप में लड़कियों का पढ़ना अप्रव्यय समझा जाता है क्योंकि अन्ततः उसका विवाह हो जाता है। तीसरे आने–जाने की समस्या, सुरक्षा

की समस्य, अन्तम उनकी शिक्षा का पाठ्यक्रम भी लैंगिक असमानता के आधार बनाया गया है। जिससे स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में पुरूषों से पीछे रह जाती है।

वैवाहिक असमानता

वैवाहिक क्षेत्रों में भी पुरूषों एवं महिलाओं में असमानता देखने को मिलती है। एक ओर जहां पुरूषों को अपने जीवन साथी को चुनने का पूरी तरह से अधिकार प्राप्त है वहीं महिलाओं को अपने परिवार के सदस्यों के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता है।

आर्थिक क्षेत्र में असमानता

महिलाओं के विकास में व्यक्तिगत तथा समाजिक स्वतंत्रता के साथ–साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण पहलू है। अर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिलाओं का विकास असम्भव है। महिलाओं की आर्थिक कमजोरी के कारण ही पुरूष वर्ग ने उस पर अधिकार जमाया है। सामान्य महिलाएं घरेलू, पारिवारिक उद्योग–धन्धों, कृर्षि कार्यों में अनुमानतः 10 से 16 घण्टे कार्य करती है परन्तु दुर्भाग्य है कि उनके इन घरेलू कार्यों का अर्थिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है। विभिन्न असंगठित क्षेत्रों में लगभग 94 प्रतिशत महिलाएँ कार्य करती है। इन सबके बावजूद वे आर्थिक रूप से कमजोर है और अपने पालन–पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, आदि के लिए पुरूषों पर आश्रित हैं। यहां तक कि जो महिलाएं कार्यशील हैं वे भी अपनी आय को इच्छानुसार व्यय करने में स्वतंत्र नहीं होती हैं। (तिवारी, आर0पी0 एवं शुक्ला जी0पी0 2015:47)

राजनीतिक क्षेत्र में असमानता

वर्तमान समय में महिलाएं राजनीति में प्रतिभाग करने लगी हैं परन्तु महिलाएँ प्रतिनिधित्व का प्रतिशत उत्साहवर्धक नहीं है। राजनीति में वर्चस्व पुरूष प्रधान व्यवस्था का ही है। भारत में महिलाएं सांसदों की लोकसभा तथा राज्यसभा में अब तक की स्थिति इसका प्रमाण है। (शर्मा प्रभुदत्त, 2012 : 162)

वर्तमान समय में अधिकांश पंच, सरपंच तथा जिला पंचायतों की पदाधिकारी बनी महिलाएँ अपने पति, पिता या पुत्र द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करती हैं। वे स्वयं किसी भी राजनीति कार्य में निर्णय नहीं ले पाती हैं जिससे उन पर पुरूष प्रधान व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है। (तिवारी, आर0पी0 एवं शुक्ला डी0पी0, 2015 :84) ।

धार्मिक क्षेत्र में असमानता

महिलाओं को अपेक्षा धार्मिक क्रिया–कलापों में पुरूषों को अधिक महत्व दिया जाता है। कोई भी धार्मिक क्रिया पहले पुरूषों द्वारा की जाती है उसके बाद महिलाओं द्वारा। धर्म ने भी महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया है। लैंगिक असमानता के उत्तरदायी कारक–

1. पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था।
2. स्त्रीयों में शिक्षा का अभाव
3. सामाजिक कुप्रथाएं– जैसे बाल–विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा इत्यादि।
4. ग्रामीण अर्थव्यवस्था (पाठक, रामचन्द्र, 2008: 290–292)

निष्कर्ष

महिला और पुरूष सृष्टि निर्माण और मानव समाज के आधार हैं। दोनो एक दूसरे के पूरक हैं ये जीवन रूपी रथ के ऐसे पहिए हैं जिनसे यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती है। परिवार और समाज में स्थायित्व के लिए दोनों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण रही है। किसी भी समाज

का परिवर्तन और विकास का आधार पुरूषों और महिलाओं के पारस्परिक मेलजोल कदम से कदम मिलाकर चलने और दोनों की समान गतिशीलता पर निर्भर है। किसी भी एक पक्ष के पिछड़ने पर सामाजिक जीवन में अराजक स्थिति निर्मित होती है। आज महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में पुरूषों के समान ही प्रवेश कर कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना होगा। तभी पूर्ण रूप से स्त्रीयों के व्यक्तित्व का विकास हो पायेगा और राज्य व देश का भी विकास हो पायेगा जिससे 21वीं शताब्दी की महिला शताब्दी का गौरव प्रदान किया जा सकता है।

सुक्षाव

1. महिलाओं की स्थिति में पूर्ण सुधार लाने एवं पूर्ण समता की स्थापना के लिए लिए स्त्रीयों की शिक्षा, प्रशिक्षण रोजगार एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। 2. आर्थिक क्षेत्र में रोजगार प्रशिक्षण, संसाधन उपलब्ध कराकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।
2. विवाहोपरान्त पति या पत्नी के द्वारा विकसित सम्पति में दोनों का अधिकार पंजीकृत होना चाहिए।
3. पितृ गृह में पुत्री को यातना दण्डनीय अपराध होना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाठक रामचन्द्र, 2008 "सामाजिक समस्याएं" प्रकाशन, विजय प्रकाशन मन्दिर वाराणसी।
2. पाण्डेय, तेस्कर एवं ओजस्कर, पाण्डेय, 2009 "समाज कार्य– सम्पादक डा0 उपेन्द्र भारत बुक सैन्टर लखनऊ।
3. सिंह, वी0एन0 एवं सिंह जन्मेजय, 2010 "आधुनिक एवं नारीवाद सशतिक्तकरण" प्रकाशन रावत पब्लिकेशन जयपुर।
4. शर्मा, प्रभुदत्त एवं त्रिपाठी, डी0सी0 2012 "भारतीय शासन एवं राजनीति" प्रकाशक– कॉलेज बुक डिपो जयपुर, विश्व भारती पब्लिकेशन नई दिल्ली।
5. तिवारी, आर0पी0 एवं शुक्ला धी0पी0 2015 "भारतीय नारी वर्तमान समस्यायें और समाधान" प्रकाशन ए0पी0एच0 पब्लिषिंग कारपोरेशन, असारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली– 110002
6. गोपालन, सरला 2001, समानता की ओर अपूर्ण कार्य भारत में महिलाओं की स्थिति, राष्ट्रीय महिला, भारत सरकार ।